इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2024—कार्तिक 17, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंकज बेले (Pankaj Bele) आत्मज श्री रामदास बेले (Ramdas Bele) निवासी 255/1, सावंगी, प्रभात पट्‌टन, बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम दिलीप बेले (Dilip Bale) आत्मज श्री प्रकाश बेले (Prakash Bale) दर्ज है किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम पंकज बेले (Pankaj Bele) पिता श्री रामदास बेले (Ramdas Bele) है. मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे पंकज बेले (Pankaj Bele) पिता श्री रामदास बेले (Ramdas Bele) के नाम से ही जाना पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं लिखा जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(दिलीप बेले)	**(पंकज बेले)**
(Dilip Bale)	**(Pankaj Bele)**
	पिता—श्री रामदास बेले
	(Ramdas Bele)

(G-2390)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ब्रजबिहारी शुक्ला (Brajbihari Shukla) आत्मज श्री मुकुटबिहारी शुक्ला (Mukutbihari Shukla) आयु—व्यस्क, निवासीः— बरकोटी खुर्द, सागर, (म.प्र.) हूं. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ऑनलाइन ऑफलाइन विवेक शुक्ला (Vivek Shukla) आत्मज श्री मुकुटबिहारी शुक्ला (Mukutbihari Shukla) दर्ज है. इसके अतिरिक्त मेरे और भी दस्तावेजों में मेरा नाम भिन्न—भिन्न प्रकार से अंकित है किंतु मेरा सही नाम ब्रजबिहारी शुक्ला (Brajbihari Shukla) आत्मज श्री मुकुटबिहारी शुक्ला (Mukutbihari Shukla) है. मैं इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे ब्रजबिहारी शुक्ला (Brajbihari Shukla) आत्मज श्री मुकुटबिहारी शुक्ला (Mukutbihari Shukla) के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(विवेक शुक्ला)	**(ब्रजबिहारी शुक्ला)**
(Vivek Shukla)	**(Brajbihari Shukla)**
	पुत्र श्री मुकटबिहारी शुक्ला **(Mukutbihari Shukla)**

(G-2391)

नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल नायक पुत्र श्री तारा चन्द नायक, पता–म.न. 03, वार्ड नं.–12, खेड़ापति मन्दिर के पास राजेन्द्र मार्ग, व्ही.टी.सी. सोनकच्छ, जिला देवास, (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम अनाया नायक पुत्री श्री गोपाल नायक है जो कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड, सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में ख्वाहिश नायक दर्ज है एवं मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम अनाया नायक दर्ज है, दोनों नाम पुत्री के ही हैं. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अनाया नायक के नाम से ही जाना जाएगा.

आवेदक

पिता–गोपाल नायक.

(G-2392)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लालाराम आत्मज–स्वर्गीय श्री बालकिशन लोधी, निवासी–अमरावत कला, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे शासकीय/अशासकीय समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड व राशन कार्ड आदि में मेरा नाम लालाराम पिता स्वर्गीय श्री बालकिशन लोधी अंकित है, जो कि सही और वास्तविक नाम है जबकि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में बालाप्रसाद दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे अपने शासकीय/अशासकीय तथा अन्य समस्त दस्तावेजों में सही नाम लालाराम लोधी पिता बालकिशन लोधी के नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा जावे.

पुराना नाम

(बाला प्रसाद)

नया नाम

(लालाराम लोधी).

(G-2393)

नाम परिवर्तन

मैं, राधा उर्फ लक्ष्मी बिहारे पति स्व. हरिलाल बिहारे, निवासी–पटेल वार्ड क्र. 16, सदर बैतूल, तह. जिला बैतूल (म.प्र.). सर्वसाधारण के सूचित करती हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम लक्ष्मी बिहारे पति हरिलाल है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम राधा बिहारे पति स्व. हरिलाल बिहारे है जो कि सही है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मेरा नाम राधा बिहारे पति स्व. हरिलाल बिहारे, सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में इन्हीं नामों से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम

(लक्ष्मी बिहारे)
(Laxmi Bihare)

नया नाम

(राधा बिहारे)
(Radha Bihare).

(G-2394)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, अमिता तिवारी पति श्री अजय तिवारी, निवासी–154, शास्त्री नगर, रतलाम, मध्यप्रदेश. विवाह के पूर्व मेरा नाम प्रीति पाठक पिता श्री शेषनारायण पाठक रहा है. वर्तमान में मेरा नाम आधार कार्ड, वोटर आई.डी., पेनकार्ड में अमिता तिवारी (AMITA TIWARI) अंकित है. मुझे उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. भविष्य में मुझे अमिता तिवारी पति अजय तिवारी के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम

(प्रीति पाठक)

नया नाम

(अमिता तिवारी)
(AMITA TIWARI)
पति–श्री अजय तिवारी, रतलाम, (म.प्र.).

(G-2395)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, शरीफ खान पिता नैनु खान, निवासी–49–डी, ओल्ड रेल्वे कॉलोनी, रोड़ नं. 06, रतलाम (म.प्र.) मेरी पुत्री सिरत खान (SEERAT KHAN) का नाम सर्विस रिकार्ड में खुशी खान दर्ज है. मेरी पुत्री को उक्त दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम मुझ प्रार्थी की पुत्री के ही हैं. भविष्य में मेरी पुत्री को सिरत खान पिता शरीफ खान के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी

शरीफ खान पिता नैनु खान.

(G-2396)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, हरीश कुमार आत्मज–स्व. ज्ञान प्रकाश, निवासी–दुर्गावती नगर, फेस–1, 15/3 वार्ड नंबर 67, तिलहरी, जिला जबलपुर. मेरे पी.पी.ओ. में मेरा नाम हरीश कुमार आत्मज–स्व. ज्ञान प्रकाश दर्ज है जब कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं वोटर आई.डी. एवं अन्य दस्तावेज में मेरा नाम हरीश कुमार प्रकाश पिता–स्व. ज्ञान प्रकाश दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम हरीश कुमार प्रकाश के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(हरीश कुमार)

नया नाम

(हरीश कुमार प्रकाश).

(G-2397)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेन्द्र क्रिस्टोफर (RAJENDRA CHRISTOPHER) पिता–स्व. डॉमनिक फ्रांसिस निवासी फ्लेट नंबर 102, मॉ नर्मदे, ग्रीन ब्यू अपार्टमेन्ट बिलहरी नर्मदा नगर रोड, जिला जबलपुर. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नि का नाम सीमा मेरी फ्रांसिस (SEEMA MARY FRANCIS) दर्ज है जबकि मेरी पत्नि के आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय–पत्र एवं अन्य दस्तावेज में मेरी पत्नि का नाम सीमा फ्रांसिस (SEEMA FRANCIS) दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मेरी पत्नी को सीमा फ्रांसिस (SEEMA FRANCIS) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सीमा मेरी फ्रांसिस)
(SEEMA MARY FRANCIS)

नया नाम

(सीमा फ्रांसिस)
(SEEMA FRANCIS).

(G-2398)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम नीता बाजपेयी (NEETA BAJPAI) पिता–श्री कमल किशोर बाजपेयी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, श्री कमलेश तिवारी से विवाह के उपरान्त मेरा नाम अनीता तिवारी (ANITA TIWARI) पति–श्री कमलेश तिवारी हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड एवं पासपोर्ट पर अंकित है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम नीता तिवारी (NEETA TIWARI) पति–श्री कमलेश तिवारी दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में नीता तिवारी के स्थान अनीता तिवारी (ANITA TIWARI) लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(नीता बाजपेयी)
(NEETA BAJPAI)

नया नाम

(अनीता तिवारी)
(ANITA TIWARI)

पति–श्री कमलेश तिवारी

पता–1026, छोटा बाजार, महू, इंदौर (म.प्र.).

(G-2399)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम प्रभा जैन (PRABHA JAIN) पिता श्री वर्धमान जैन था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, श्री चन्द्रप्रकाश जैन से विवाह के उपरान्त मेरा नाम प्रभा चन्द्रप्रकाश जैन (PRABHA CHANDRAPRAKASH JAIN) हो गया है, जो मेरे आधार, पेन कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य दस्तावेज पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे प्रभा चन्द्रप्रकाश जैन (PRABHA CHANDRAPRAKASH JAIN) के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(प्रभा जैन)
(PRABHA JAIN)

नया नाम
(प्रभा चन्द्रप्रकाश जैन)
(PRABHA CHANDRAPRAKASH JAIN)
पति—स्व. श्री चन्द्रप्रकाश जैन
पता—97—जे सेक्टर—ए, स्कीम न. 71
गुमाश्ता नगर के पास, इंदौर (म.प्र.).

(G-2400)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम भगवान सिंह चौहान (BHAGWAN SINGH CHOUHAN) पिता श्री रंजीतसिंह चौहान था, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर प्रविण सिंह चौहान (PRAVIN SINGH CHOUHAN) कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम प्रविण सिंह चौहान (PRAVIN SINGH CHOUHAN) के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(भगवान सिंह चौहान)
(BHAGWAN SINGH CHOUHAN)

नया नाम
(प्रविण सिंह चौहान)
(PRAVIN SINGH CHOUHAN)
पुत्र—श्री रंजीत सिंह चौहान
पता—85, पानवा, वार्ड 85, खाल बुजुर्ग,
खरगोन (म.प्र.).

(G-2401)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राहुल कुमार शाक्य (Rahul Kumar Shakya) पुत्र श्री श्रीराम शाक्य (Shriram Shakya) मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम राम अंकित है और कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में श्रीराम शाक्य है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मुझे राहुल कुमार शाक्य पिता श्रीराम शाक्य के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
राहुल कुमार शाक्य
पता—H-6, PWD COLONY,
SABALGARH, (MORENA)

(G-2402)

CHANGE OF NAME

I, Umesh Pratap Singh S/o Late Shri Kshatra Pati Singh, Aged 61 years, R/o-168, Nainagiri Colony, Narela Shankari, J.K. Road, Bhopal-462021 (M.P.) India, I was formerly known as Umesh Prasad Singh. I have changed my name as Umesh Pratap Singh. Now and in future, I known and recognized by my new name i.e. Umesh Pratap Singh.

Old Name
(Umesh Prasad Singh)

New Name
(Umesh Pratap Singh)

(G-2403)

नाम परिवर्तन

मैं, हुबा अली पत्नी सैयद परवेज अली, निवासी–158–ए, हजरत निमामुद्दीन कालोनी, भेल, भोपाल, (म.प्र.). मैंने अपना नाम नादरा अजीज से बदलकर हुबा अली कर दिया है. अतः मैं, हुबा अली पत्नी सैयद परवेज अली के नाम से जानी व पहचानी जाऊँगी.

पुराना नाम — नया नाम

(नादरा अजीज) — (हुबा अली)

(G-2404)

नाम परिवर्तन

मैं, राहुल बागडिया पिता मुन्नालाल बागडिया, माता प्रेमलता बागडिया, निवासी–28/1, खजूरवाली मस्जिद, वल्लभ भाई पटेल मार्ग, उज्जैन (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में त्रुटिवश मेरा नाम राहुल बागडिया पिता पुरुषोत्तम बागडिया दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरे सभी शासकीय दस्तावेज में मेरा नाम राहुल बागडिया पिता मुन्नालाल बागडिया दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम राहुल बागडिया पिता मुन्नालाल बागडिया नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(राहुल बागडिया)

(G-2405)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स साधना स्टोन एण्ड माईनिंग, पता–वार्ड नं. 09, सिंचाई कॉलोनी, घुवारा, जिला छतरपुर, (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/09/0038/20 है जिसमें दिनांक 19 सितम्बर 2024 के फर्म के सभी भागीदारों की सहमति से फर्म का मुख्य कार्यालय का पता–वार्ड नं. 09, सिंचाई कॉलोनी, घुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) परिवर्तित कर नवीन स्थल प.ह.न. 31, रा.नि.मं. रजवांस, खसरा नं. 9/2, मकान नं. 113, ग्राम नीमखेडा, पो. सेसई, तहसील मलाथोन, जिला सागर (म.प्र.)–470441 हो गया है.

मेसर्स साधना स्टोन एण्ड माईनिंग पार्टनर

(अनुरूद्ध सिंह)
(साझेदार).

(G-2406)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स वर्धमान इंडस्ट्रीज एवं सोसायटी जबलपुर में पंजीकरण संख्या 04/15/03/0001/17, दिनांक 6 अप्रैल 2017 में पंजीकृत है, जिसमें वर्तमान में निम्न परिवर्तन हुए हैं :–

1. दिनांक 1 अप्रैल 2024 को प्रकाशचन्द जैन पुत्र स्व. श्री दीपचन्द जैन, निवासी–सावरकर वार्ड, कटनी–483501 (म.प्र.) फर्म से सेवानिवृत्त हुए.
2. दिनांक 1 अप्रैल 2024 को श्रीमती आरती परौहा पति श्री अनुराग परौहा, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी तुलसीनगर, दुबे कॉलोनी, कटनी–483501 (म.प्र.) फर्म में सम्मिलित हुए.

मेसर्स वर्धमान इंडस्ट्रीज

1. अनुराग परौहा
2. आरती परौहा

(साझेदार).

(G-2407)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स सौम्या इंटरप्राइजेज (M/s SAUMYAA ENTERPRISES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है.

इस फर्म में दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से एक भागीदार–श्रीमती सीमा सोनी, पति–श्री विनय सोनी, निवासी–म.न. 37, कमिश्नर ऑफिस, गृह निर्माण समिति, डीआईजी आफिस के पीछे, शंकर शाह नगर, रामपुर, जबलपुर, म.प्र. 482008 बाहर हो रही है तथा उक्त फर्म में दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से श्रीमती श्रद्धा भोला, पति–श्री हरीश कुमार भोला, निवासी–म.न. 79, नयागांव कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, रामपुर, जबलपुर, म.प्र. 482008 शामिल हो रही है. उक्त भागीदार फर्म में दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से संशोधन के उपरांत दो साझेदार रहेंगे.

साथ ही इस विज्ञप्ति के द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि पूर्व में हमारी फर्म मेसर्स सौम्या इंटरप्राइजेज जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय म.न. 37, कमिश्नर ऑफिस, गृह निर्माण समिति, डीआईजी आफिस के पीछे, शंकर शाह नगर, रामपुर, जबलपुर, म.प्र. 482008 में था आज दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से इसके रजिस्टर्ड कार्यालय का स्थान परिवर्तन फ्लैट न. 14, सेकण्ड फ्लोर, जॉनसन टॉवर, महर्षि विद्या मंदिर, गोरखपुर, जबलपुर म.प्र. 482001 में कर दिया गया है.

(G-2408)

(हर्षवर्धन केड़िया)
पार्टनर.

नाम परिवर्तन

मैं, आशीष पाठक (ASHISH PATHAK) पुत्र–कुलदीप पाठक सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का नाम आशू पाठक (ASHU PATHAK) था. जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है जब कि भविष्य में मुझे आशीष पाठक पुत्र–कुलदीप पाठक के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. आशीष पाठक एवं आशू पाठक दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम आशू पाठक के स्थान पर आशीष पाठक लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(आशू पाठक)

नया नाम
(आशीष पाठक)
पुत्र–कुलदीप पाठक
पता–पिपरघान मार्ग, सबलगढ़, मुरैना, (म.प्र.).

(G-2409)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजू ठाकुर पिता–मिट्‌ठू ठाकुर, निवासी–29, छितरी खुर्दा तिलगवां, तहसील पनागर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजेश पिता दुलीचंद अंकित हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम राजू ठाकुर पिता–मिट्ठ ठाकुर है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम राजू ठाकुर पिता मिट्‌ठू ठाकुर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजेश)
पिता–दुलीचंद

नया नाम
(राजू ठाकुर)
पिता–मिट्‌ठू ठाकुर

(G-2410)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कमलेश पटेल पिता–संतोष खाती, कमलेश पटेल पिता–संतोष कुमार खाती एवं कमलेश पटेल पिता–संतोष खाती तथा कमलेश पटेल पिता संतोष कुमार मेरे ही नाम हैं. अतः वर्तमान एवं भविष्य में मेरा नाम कमलेश पटेल पिता–संतोष पटेल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

(कमलेश पटेल)
पिता–स्व. श्री संतोष पटेल
निवासी–ग्राम व पोस्ट कम्पेल, जिला–इंदौर.

(G-2411)

नाम परिवर्तन

मैं, कुन्दन चौहान पुत्र श्री लखन चौहान, निवासी–म.न. 53, वार्ड नं. 5, चौहान मोहल्ला, सिंहगवाड़ा, देवास (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कृष्णाराज चौहान पुत्र लखन चौहान अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही एवं सत्य नाम कुन्दन चौहान पुत्र श्री लखन चौहान है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम कुन्दन चौहान पुत्र श्री लखन चौहान के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कृष्णाराज चौहान)

नया नाम
(कुन्दन चौहान)
(Kundan Chouhan)
पुत्र श्री लखन चौहान
(Lakhan Chouhan).

(G-2412)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अवध अहिरवार (ABADH AHIRWAR) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरे पति राजेश कुमार के पी.पी.ओ. में मेरा पूर्व नाम रानी देवी (RANI DEVI) दर्ज है, यही नाम मेरे राशन कार्ड आदि में दर्ज है. रानी देवी और अवध अहिरवार मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे रानी देवी के स्थान पर अवध अहिरवार के नाम से जाना–पहचाना जावे व मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों एवं मेरे पति राजेश कुमार के पीपीओ में मेरा नाम रानी देवी के स्थान पर अवध अहिरवार दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रानी देवी)
(RANI DEVI)

नया नाम
(अवध अहिरवार)
(ABADH AHIRWAR)
पता–18, अशोक कॉलोनी, नदीपार टाल मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2413)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम लेखराज चौहान पिता श्री मुन्नालाल चौहान (Lekhraj Chouhan S/o Munnalal Chouhan) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे विकास पिता मुन्नालाल (Vikas S/o Munnalal), निवासी–1157, स्कीम नं. 71, सेक्टर बी, जिला इन्दौर (म.प्र.) के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

प्रार्थी
(विकास)
(Vikas)

(G-2414)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम संजय जैन पिता मांगीलाल (Sanjay Jain S/o Mangilal) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे संजय सिसोदिया पिता मांगीलाल (Sanjay Sisodiya S/o Mangilal), निवासी–म.नं. 24, वार्ड नं. 07, मुखर्जी मार्ग, ताल, जिला रतलाम, (म.प्र.) के नाम से जाना–पहचाना व पुकारा जावे एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में अंकित किया जावे.

प्रार्थी
(संजय सिसोदिया)
(Sanjay Sisodiya)

(G-2415)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कैलाशी बाई है यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. जबकि मेरा पूर्व में नाम मीरा पुकारा जाता है. मैं अपना नाम कैलाशी बाई से बदलकर मीरा रख रही हूँ. उक्त दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. भविष्य में समस्त प्रयोजन हेतु मुझे कैलाशी बाई के स्थान पर मीरा के नाम से ही जाना–पहचाना जावे व मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कैलाशी बाई)

नया नाम
(मीरा)
पुत्री श्री जगमन सिंह यादव
पता–कुलैथ, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2416)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

प्रारुप--चार

[(नियम–5) 1 (देखिए)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए].

पंजीयक,
लोकन्यास,
उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र.–एसडीएम नगर–रीडर–1–2024–223.-- चूंकि, आवेदक श्री गुलाम हुसैन पिता असगर अली सियावाला सचिव, "दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट तैय्यबी मोहल्ला उज्जैन" कार्यालय तैय्यब मस्जिद तैय्यबपुरा बाखल वल्लभ भाई पटेल मार्ग के.डी. गेट चौराहा उज्जैन ने (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 19 नवम्बर 2024 को दोपहर 03:00 बजे स्थान–सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के प्रथम तल के कक्ष क्रमांक–104 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 19 नवम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा :–

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम :–	“दाउदी बोहरा जमात ट्रस्ट तैय्यबी मोहल्ला उज्जैन”
कार्यालय :–	तैय्यब मस्जिद तैय्यबपुरा बाखल वल्लभ भाई पटेल मार्ग के.डी. गेट चौराहा उज्जैन(म.प्र.)
अचल संपत्ति :–	वर्तमान में न्यास ने अपने पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है.
चल संपत्ति :–	वर्तमान में न्यास ने अपने पास चल संपत्ति 11,000/- दर्शाई है.

(G-2417) **लक्ष्मीनारायण गर्ग,** रजिस्ट्रार.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

जूनी इंदौर, दिनांक 01 अक्टूबर 2024

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम, 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.5787—रीडर—1—24.— आवेदक शांती श्री सेवा पारमार्थिक ट्रस्ट पता—60/4, संविद नगर, टेलीफोन चौराहे के पास, कनाडिया मेन रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :—

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल संपत्ति का विवरण)

आवेदक शांती श्री सेवा पारमार्थिक ट्रस्ट पता—60/4, संविद नगर, टेलीफोन चौराहे के पास, कनाडिया मेन रोड, इन्दौर

अचल संपत्ति :— निरंक.

चल संपत्ति :— 5,000/—

आज दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया.

(G-2418)   **घनश्याम धनगर,** पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक भैरूंदा (नसरूल्लागंज) जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 5 मार्च 2024

प्ररूप—5

[देखे नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम, 5(1) द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयन भैरूंदा जिला सीहोर के समक्ष

क्र. 456—रीडर—2024.— मुझे ज्ञात हुआ है यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विर्निदष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है :—

इसलिये मैं मदन सिंह रघुवंशी अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक भैरूंदा (नसरूल्लागंज) जिला सीहोर मेरे समक्ष दिनांक 5 अप्रैल 2024 पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	संपत्ति का वर्णन	चल संपत्ति	अचल संपत्ति	अन्य विवरण
मीणा समाज सेवार्थ ट्रस्ट शाखा भैरूंदा (नसरूल्लागंज) जिला सीहोर.	मीणा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास वार्ड नं. 01, इन्दौर रोड, भैरूंदा (नसरूल्लागंज) जिला सीहोर में स्थित समस्त सामग्री व भवन.	पानी की मोटर 2 हा.पा. की, छत पंखे 5 नग, पेटी 2 नग.	भूमि स्थित नसरूल्लागंज सर्वे न. 39/1/1/1रकबा 0.304 है. तथा उस पर निर्मित भवन जिसमें 10 कमरे, 1 हाल, 2 कमरे चौकीदार निवास हेतु, नलकूप, लेटरिंग, बाथरूम तथा गेट, फेंसिंग शामिल है. 0.304 है. भूमि पर निर्मित भवन एवं उस पर निर्मित भवन का मूल्य शासकीय दर के अनुसार वर्तमान में लगभग रू. 1,00,000,00/– अक्षरी एक करोड रू. है.	औसत सकल वार्षिक आय रु. 3,00,000/– अक्षरी तीन लाख रूपये.

(G-2419) **मदन सिंह रघुवंशी,** अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास मझगवां, जिला सतना, मध्यप्रदेश

मझगवां, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

प्रारूप 5

[देखे नियम (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक मझगवां जिला के समक्ष

क्र. 440–अनु.अधि.–रीडर–2024.–अतः मुझे यह प्रतीत है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है :–

अब इसलिये मैं, जितेन्द्र कुमार वर्मा लोक न्यासों का पंजीयक मझगवां जिला मेरे न्यायालय में 2024 के दिनांक 5 नवम्बर 2024 के दिवस पर कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया गया है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना–पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे माध्यम से उपस्थित तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा :–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

"श्री राम सेवा आश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट रामानन्द नगर नयागांव चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.)."

सम्पत्तियों का विवरण

इस न्यास में निम्न सम्पत्तियां सम्मलित है :–

चल सम्पत्ति	:–	10,000
अचल सम्पत्ति	:–	0.0420 हेक्टेयर

जितेन्द्र कुमार वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-2420)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट नजूल, टी.टी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश

प्र.क्र.–01–बी–113–2024–25 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

प्रारूप–4

[नियम–5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा–5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर भोपाल जिले के समक्ष

क्र. 706–अ.वि.अ.–टी.टी. नगर–2024.– चूंकि, श्री निर्मलचन्द जैन (अध्यक्ष एवं ट्रस्टी) आ.–स्व. श्री गुलाब चन्द्र जैन निवासी–म.नं. 20, स्टर्लिंग फेस–2, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) ने लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदित किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अतः मैं, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, टी.टी. नगर भोपाल (वैय्यावृत्ति फाउण्डेशन ट्रस्ट भोपाल) लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूँ.

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा :–

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	:–	वैय्यावृत्ति फाउण्डेशन ट्रस्ट भोपाल (म.प्र.)
2.	चल सम्पत्ति	:–	निल
3.	अचल सम्पत्ति	:–	निल

आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

अर्चना रांवत शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(G-2421)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, तहसील–कोलार, जिला–भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

प्र.क्र. 0002–बी–13–2024–25.– जैसा कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा श्री आदित्य नारोलिया आत्मज स्व. श्री अनिरूद्ध सिंह नारोलिया निवासी डी.के. 1–324, दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल की ओर से म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 18 नवम्बर 2024 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:–	“विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान मध्यप्रदेश भोपाल” द्वारा श्री आदित्य नारोलिया आत्मज स्व. श्री अनिरूद्ध सिंह नारोलिया निवासी – डी.के. 1–324, दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल.
2.	चल सम्पत्ति	:–	25,000
3.	अचल सम्पत्ति	:–	—

आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-2422) **रविशंकर राय,** अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर

सागर, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2024–1060.– इफको प्रवर्तित प्राईमरी फार्म फॉरेस्ट्री को–ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमि. सुरखी, विकासखण्ड, सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 23 जून 1988 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/926 दिनांक 16 मार्च 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. श्री मोतीलाल कोरी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां सागर, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इफको प्रवर्तित प्राईमरी फार्म फॉरेस्ट्री को–ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमि. सुरखी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 23 जून 1988 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2423) **परशराम कावड़कर,** डिप्टी रजिस्ट्रार.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर—कार्तिक 17, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.